

by hand

श्रीमान

श्रीमान जनसुचना अधिकारी  
राष्ट्रीय शोका संस्था  
आयुक्त

Date - 09/11/2015

विषय - जनसुचना चलावे व पत्र चलावे के लेटर  
के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने हेतु -

महोदय

सूचना के अधिकार नियम 2005 के अन्तर्गत  
जनसुचना चलावे व पत्र चलावे हेतु दिये गये लेटर  
के सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराते जा  
रहे हैं।

SAC (E-2)  
CAPIO/APPD  
10/11/15

Conf. Sec  
10/11/15

Conf. Sec may pt. deposit a sum  
of Rs. 10/- RTI fee vide 190/15/15  
34F 223729

1. दिनांक 14/11/2015 के संस्था में सुले लेटर को पत्र व  
जनसुचना चलावे हेतु निम्न पत्र को दिनांक 14/11/15  
दिनांक पर।

क्या उस पत्र को दिये गये रेट सभ्य बनाने है?

क्या केवल लेटर के रेट कमा है तथा  
निम्न कालिका उक्त पत्र को लेटर आवंटित नहीं  
दिनांक 14/11/15

नोट - R.T.I fees का पोस्टल माडिब संवत् 10/15  
नं 34F 223729 द्वारा संलग्न  
कर रखा है

प्रार्थना  
आभार

Deposited to Rs 10/- vide  
R. No. 32/15/15  
dt. 20-11-2015

360, नारायण अन्वय,  
आयुक्त  
20/11/15  
Credit Sec Yct  
नारायण अन्वय

सं.25(52)/2014/RTI/  
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्थान  
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  
भारत सरकार

फोन : 0512-2570575  
फैक्स : 0512-2570247  
ई-मेल : nsikanpur@nic.in

कानपुर, दिनांक: 08-12-2015

सेवा में,  
श्री कय्यूम खान  
अराजी नं०-360, नारामउ, कल्यानपुर  
कानपुर।

463  
दिनांक 15/12/15

विषय-जेन सेट चलाने व पम्प चलाने के टेण्डर के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपके पत्र दिनांक 09.11.2015 के आवेदन के द्वारा मांगी गई सूचना निम्नलिखित है :-

- 1- दिनांक 14-09-2015 को खोले गए निविदा के अन्तर्गत जेन सेट व पम्प चलाने का कार्य मेसर्स विजय इलैक्ट्रिकल्स, कानपुर को प्रदान किया गया है। प्रदत्त निविदा का मूल्य पम्प चलाने हेतु रु०12500/- प्रति माह तथा जेनसेट चलाने हेतु भी रु०12500/-प्रति माह है।
- 2- हों।
- 3- प्रस्तुत निविदा के अनुसार मेसर्स के. के. इलैक्ट्रिकल्स विज्ञापित सेवाओं को संचालित करने का कोई अनुज्ञापत्र धारण नहीं करते थे। साथ ही निविदा प्रपत्र के अनुसार कम से कम पांच वर्षों का अनुभव धारण करने वाली पार्टियों पर विचार किया जाना था। तदनुसार पाया गया कि मेसर्स के. के. इलैक्ट्रिकल्स ने पूर्ण अनुभव धारण करने का कोई प्रमाण संलग्न नहीं किया था। अतः मेसर्स के.के. इलैक्ट्रिकल्स को तकनीकी आधार पर शार्ट लिस्ट नहीं किया गया तथा उसकी बोली की निविदा को वित्तीय मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जा सकता था। अतएव फर्म को वित्तीय मूल्यांकन के विचारार्थ उपयुक्त/पात्र नहीं पाया गया।

आपको आगे यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं :-

श्री नरेन्द्र मोहन  
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी  
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान  
भारत सरकार  
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  
कानपुर - 208017

भक्तदीय,  
(राकेश शुक्ला)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं  
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी